आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

27-09-2013

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या–सी0आर0एम0– 03/2012–13

विश्वमोहन सिंह

बनाम

बिहार सरकार

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के द्वारा दिनांक 30.03.2012 को अनियमितता के आरोप में रेलवे उप सहयोग समिति ज0वि0प्र0 विक्रेता का अनुज्ञप्ति संख्या–15/07 को रद्द कर दिया गया है, को पुनः बहाल करने के लिए दायर किया गया है। ज0वि0प्र0 के दुकानदार पर आरोप है कि उन्होनें अक्टुबर–11 से फरवरी–12 तक के माह का खाद्यान्न का उठाव मार्च–13 तक नही किया गया है। रेलवे कर्मचारी के लिए ज0वि0प्र0 प्रणाली का दुकान है। पास के वी0पी0एल0 कार्ड धारियों को इनके दुकान के साथ टैग किया गया है। आरोप लगाया गया है कि कालाबाजारी करने के नियत से खाद्यान्न का उठाव समय सीमा के अन्दर नही किया गया है। साथ ही लगाये गये आरोप के संबंध में कारण पृच्छा की मांग की गयी जो उनके द्वारा स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

(i) अपीलकर्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा दिनांक 27.03.2012 को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। बिना जांच पड़ताल किये एवं उन्हें सुनवाई का असवर दिये ही अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को दिनांक 30.03.2012 को रद्द कर दिया गया।

(ii)अपीलकर्ता का कहना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक 16.04.2012 को अपीलकर्ता को किरासन तेल का आवंटन दिया एवं उन्होंने दिनांक 22.04.2012 को किरासन तेल का उठाव किया, जबकि पूर्व में ही अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

(iii)अपीलकर्ता पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अक्टुबर–11 से फरवरी–12 तक खाद्यान्न का उठाव नही किया। इसके संबधं में अपीलकर्ता का कहना है कि उन्होने अक्टुबर–11 एवं नवम्बर–11 के खाद्यान्न का उठाव दिनांक 02.04.2012 एवं दिसम्बर से फरवरी–12 तक के खाद्यान्न का उठाव दिनांक 03.04.2012 को किया। इसके प्रमाण क संबंध में उनका कहना है कि भण्डार पंजी के पृष्ठ सं0–3 पर उसका उल्लेख है।

(iv) अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के ज्ञापांक 132/गो0, दिनांक 27.03.2012 को कारण पृच्छा हेतु निर्गत नोटिस को उन्होंने कार्यालय के पिउनबुक पर दिनांक 28.04.2012 को प्राप्त किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश को रद्द करने हेतु अनुरोध किया है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये बिना ही उनके अनुज्ञप्ति को रद् कर दिया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अतः वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को रिमाण्ड करते हुए आदेश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के पश्चात ही नियमानुसार वाद का निष्पादन करें। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय के अभिलेख को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

27/9

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

27/9

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया